# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन सं. – 86/2014/हनुमानगढ

मैसर्स मनोज ट्रेडर्स,
नोहर, श्रीगंगानगर। ........प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर। ........अप्रार्थी

2. रेक्टिफिकेशन सं. – 87/2014/हनुमानगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर। ........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स मनोज ट्रेडर्स,
नोहर, श्रीगंगानगर। ........अप्राथी

**एकलपीठ**
**श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक। ......विभाग की ओर से
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक। ......व्यवहारी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 08.05.2018**

## निर्णय

1. प्रार्थी विभाग द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1124/2011/हनुमानगढ एवं 1414/201/हनुमानगढ में पारित किये गये संयुक्त निर्णय दिनांक 27.03.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2. राजस्व द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2010 अन्तर्गत धारा 25, 55, 58, 61, एवं 64 के विरूद्ध विभाग एवं व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 27.03.2014 द्वारा प्रकरणों का निस्तारण किया है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई, एवं कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 27.03.2014 का अवलोकन किया गया। कर बोर्ड के निर्णय के पृष्ठ संख्या 6 में यह निर्णित किया गया कि "......परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील 1124/2011 स्वीकार की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील 1414/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।....." में लिपिकीय भूल से अपील संख्या 1124/2011 में 'अस्वीकार' की जगह 'स्वीकार' एवं अपील संख्या 1414/2011 में 'स्वीकार' की जगह 'आंशिक रूप से स्वीकार' टंकित हो गया था। जिसे अब **"......परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील 1124/2011 "अस्वीकार" की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील 1414/2011 "स्वीकार" की जाती है।....."** पढा जावें। इस बिन्दु तक विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

**(मदनलाल मालवीय)**
सदस्य